



2026/AHC-LKO:5425-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ

सिविल विविध पुनरीक्षण आवेदन दोषपूर्ण संख्या - 93 सन 2025

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव राज्य कर विभाग
लखनऊ एवं एक अन्य

..... आवेदक(ओं)

बनाम

मेसर्स अनीता ट्रेडर्स लखनऊ द्वारा प्रोप्राइटर

.....प्रतिवादी(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राय
माननीय न्यायमूर्ति अब्देश कुमार चौधरी

1. दिनांक 16.12.2025 के हमारे आदेश के अनुसरण में आज सेवा का शपथ-पत्र दाखिल किया गया है, इसे अभिलेख में ले लिया गया है।

(आई.ए. संख्या 1 / 2025 - विलंब माफ़ी आवेदन)

2. पुनरीक्षण याचिका का विरोध करने के लिए कोई उपस्थित नहीं है।

3. यद्यपि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए पारित निर्णय के पुनरीक्षण हेतु पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने की कोई समयसीमा निर्धारित नहीं है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण याचिका संख्या 329/2010 (श्रीमती मोहम्मद जहान बेगम और अन्य बनाम राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद और अन्य) में दिनांक 23.09.2016 के दिए गए निर्णय में कहा गया है, फिर भी विलंब और लापरवाही पर विचार करना आवश्यक है। हमने पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने में हुये विलंब के स्पष्टीकरण हेतु शपथ-पत्र का अध्ययन किया है। हमें स्पष्टीकरण पर्याप्त और संतोषजनक लगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. तदनुसार, हम पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने में हुये विलंब को माफ करते हैं, जिसे अनुमति दी जाती है।

(पुनरीक्षण आवेदन पर आदेश)

5. यह पुनरीक्षण याचिका राज्य द्वारा डब्ल्यूटीएक्स संख्या 57/2025 में पारित निर्णय के पुनरीक्षण के लिए दायर की गई है। उक्त याचिका को इस आधार पर अनुमति गई थी कि उत्तर प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे 'अधिनियम 2017' कहा गया है) की धारा 73(9/10) के तहत संबंधित अधिकारियों द्वारा आकलन वर्ष 2017-18 के लिए पारित नोटिस या आदेश समय-बाधित थे, क्योंकि निर्णय में उल्लिखित अधिसूचनाओं के अनुसार याचिका अलग-अलग तिथियों पर पारित की गई थी। हालांकि, बाद में रिट याचिका संख्या 316/2025 की सुनवाई के दौरान, जब रिट याचिका संख्या 57/2025 और रिट याचिका संख्या 264/2024 में पारित आदेशों का लाभ मांगा गया, जिसे उपरोक्त आधारों पर पहले ही अनुमति दे दी गई थी, तब यह पाया गया कि उक्त रिट याचिकाओं पर निर्णय लेते समय दिनांक 21.07.2022 की अधिसूचना न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाई गई थी। उक्त अधिसूचना पर विचार करते हुए, न्यायालय ने निम्नलिखित राय दी।

“ 5. जब हम उपरोक्त अधिसूचना पर विचार करते हैं, तो हम पाते हैं कि यद्यपि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की दिनांक 03.02.2018 की अधिसूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की तिथि, जो सामान्यतः 31.12.2018 होती, को 05.02.2020 तक बढ़ा दिया गया था और उक्त अधिसूचना के आधार पर धारा 73 की उपधारा 10 में उल्लिखित तीन वर्ष की अवधि 05.02.2023 को समाप्त हो जाती, जिसका अर्थ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए धारा 73 की उपधारा 9 के तहत आदेश 05.02.2023 तक पारित किया जा सकता था, यद्यपि दिनांक 21.07.2022 की अधिसूचना, जो 01.03.2020 से प्रभावी हुई, के मद्देनजर धारा 73 की उपधारा 10 के तहत धारा 73 की उपधारा 9 के तहत आदेश जारी करने के लिए निर्दिष्ट समय सीमा समाप्त हो गई है। उत्तर प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत, वित्तीय वर्ष 2017-18 की कर अवधि के संबंध में भुगतान न किए गए या कम भुगतान किए गए करों या गलत तरीके से प्राप्त या उपयोग किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की वसूली के लिए निर्धारित समय सीमा 30 सितंबर, 2023 तक समाप्त कर दी गई थी, और राज्य सरकार की दिनांक 24.04.2023 की अधिसूचना द्वारा, जो 31.03.2023 से प्रभावी हुई, उक्त समय सीमा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 31.12.2023 तक बढ़ा दी गई।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. इस मामले में, आक्षेपित आदेश 13.12.2023 को पारित किया गया है, इसलिए यह उपरोक्त संदर्भित अधिसूचनाओं द्वारा विस्तारित समय सीमा के भीतर पारित किया गया है। उक्त अधिसूचनाओं को चुनौती नहीं दी गई है।”

6. स्पष्टतः, दिनांक 21.07.2022 की उक्त अधिसूचना के कारण, यद्यपि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की दिनांक 03.02.2018 की अधिसूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की सामान्य तिथि 31.12.2018 को बढ़ाकर 05.02.2020 कर दी गई थी और उक्त अधिसूचना के आधार पर, धारा 73 की उपधारा 10 में उल्लिखित तीन वर्ष की अवधि 05.02.2023 को समाप्त हो जाती, जिसका अर्थ यह है कि वर्ष 2017-18 के लिए धारा 73 की उपधारा 9 के अंतर्गत आदेश 05.02.2023 तक पारित किया जा सकता था, उसके बाद नहीं। हालांकि, दिनांक 21.07.2022 की उपरोक्त अधिसूचना के मद्देनजर, जो 01.03.2020 से प्रभावी हुई, धारा 73 की उपधारा 10 के अंतर्गत निर्दिष्ट समय सीमा कर अवधि, अर्थात् आकलन वर्ष 2017-18 के संबंध में भुगतान न किए गए या कम भुगतान किए गए करों या गलत तरीके से प्राप्त या उपयोग किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की वसूली के लिए अधिनियम 2017 की धारा 73 की उपधारा 9 के तहत आदेश जारी करने की समय सीमा 30 सितंबर, 2023 तक बढ़ा दी गई थी और राज्य सरकार की दिनांक 24.04.2023 की अधिसूचना द्वारा, जो 31.03.2023 से प्रभावी हुई, उक्त समय सीमा को 31.12.2023 तक और बढ़ा दिया गया।

7. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके। इसलिए, वह निर्णय जिसके द्वारा उपरोक्त रिट याचिका को धारा 73 के तहत कार्यवाही समय-बाधित होने के आधार पर अनुमति दी गयी थी, स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि उक्त रिट याचिका में आक्षेपित आदेश 31.12.2021 से पहले पारित किया गया था और पुनरीक्षणाधीन निर्णय दिनांक 21.07.2022 और 24.04.2023 की अधिसूचनाओं की जानकारी के अभाव में दिया गया था। तदनुसार, उक्त निर्णय का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। हम तदनुसार इसका पुनरीक्षण करते हैं और इसे वापस लेते हैं। पुनरीक्षण आवेदन को अनुमति दी जाती है। फलस्वरूप, जिस रिट याचिका में पुनरीक्षण आवेदन को अनुमति दी गई है, उसे उसके मूल क्रमांक पर बहाल कर दिया जाता है और अब इसे उचित पीठ के समक्ष अन्य आधारों, यदि कोई हो, पर विचार के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। अपील के वैधानिक उपाय सहित सभी दलीलें विचार के लिए खुली हैं।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन रॉय]

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जनवरी 22, 2026

शान्/-

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।